प्रेस विज्ञप्ति बिजनौर पुलिस दिनांकः– 23.07.2021

थाना अफजलगढ– आज दिनांक 23.07.2021 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 197/2021 धारा 376/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त अफसार उर्फ साहिल पुत्र शौकीन अहमद निवासी ग्राम सलावत नगर थाना अफजलगढ़, जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

थाना नहटौर– आज दिनांक 23.07.2021 को थाना नहटौर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 194/21 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1–खुर्शीद पुत्र रफीक अहमद 2–नईम पुत्र वजीर कुरेशी निवासीगण ग्राम तरकोला थाना नहटौर, बिजनौर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

थाना स्योहारा– आज दिनांक 23.07.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 370/2021 धारा 376/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त सादिक पुत्र हाफिजुर रहमान निवासी बेरखा थाना स्योहारा, जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।

थाना नजीबाबाद– आज दिनांक 23.07.2021 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्तगण 1–विरेन्द्र सिंह पुत्र करण सिंह निवासी ग्राम कनकपुर थाना नजीबाबाद, बिजनौर 2–अरविन्द पुत्र रमेश चंद निवासी ग्राम मकवरा थाना नजीबाबाद, बिजनौर 3–साधू पुत्र जागन निवासी मोहल्ला प्रेमनगर कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।

थाना अफजलगढ– आज दिनांक 23.07.2021 को थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 91/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में नामजद वांछित अभियुक्त मुजाहिद पुत्र आबिद निवासी ग्राम ज्योति मां उर्फ मुकरपुरी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को भूतपुरी रामगंगा पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

थाना अफजलगढ– दिनांक 22/23.07.2021 को थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर नई कॉलोनी में मकान से अभियुक्त शौकीन पुत्र जलील अहमद निवासी ग्राम मेघपुर थाना अफजलगढ़, जनपद बिजनौर इलेक्ट्रॉनिक सेटअप, मॉनिटर, सीपीयू, माउस, इंटरनेट डिब्बी रोस्टर, 2 गेटवे 32जीबी व 63 सिम बीएसएनल कंपनी के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त शौकीन उपरोक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह अपने मामा के लड़के फरमान के साथ मिलकर सेटअप के माध्यम से दूरसंचार प्रणाली को हैक कर सऊदी अरब में रहने वाले भारतीयों की अवैध तरीके से इंडिया में बात कराता है। इस संबंध में थाना अफजलगढ पर मुकदमा अपराध संख्या 201/21 धारा 420/468 भादवि 66 आईटीएक्ट पंजीकृत किया गया।

<u>थाना नगीना देहात–</u> आज दिनाक 23.07.2021 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभि0 हिमान्शु पुत्र यशपाल सिंह नि0 ग्राम नांदकार थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर को एक अदद तमंचा नाजायज 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर व अभि0 विशाल पुत्र बाबूराम सैनी नि0 ग्राम खिदरीपुरा थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर को एक अदद चाकू नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नगीना देहात पर क्रमशः मु0अ0सं0 196/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 व मु0अ0सं0 197/2021 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

14(1) गैंगस्टर की कार्यवाही में गो तस्कर अफसर कुरैसी, मुन्ना, अमजद, असलम, अकरम पुत्रगण अजमल उर्फ मौ0 हनीफ नि0 मौ0 बंदूकचियान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर के 02 मकान (कीमत करीब 70 लाख 22 हजार रूपये) कुर्क।

अवगत कराना है कि अभियुक्त अफसर कुरैसी, मुन्ना, असलम, अमजद व अकरत पुत्रगण अजमल उर्फ मौ0 हनीफ नि0 मौ0 बंदूकचियान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर एक गैंग लीडर है, इस गैंग में 05 सदस्य है। अभियुक्त अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना धामपुर, बिजनौर पर मु0अ0सं0 166/2021 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 व मु0अ0सं0 191/2019 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व मु0अ0सं0 83/2021 धारा 269/270/272/429 भादवि व 11(1)(k),11(1X1) पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत है। अभियुक्तगण एक शातिर किस्म के अपराधी व गो तस्कर है जिसका क्षेत्र मे भय व आतंक व्याप्त है। अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक कृत्य कर धन अर्जित करके चल/अचल सम्पत्ति एक 02 मंजिला मकान लगभग 100 वर्ग गज कीमत करीब 50,00,000/रूपये व एक मकान 70 वर्ग गज कीमत करीब 20,22,000/रूपये अवैध धन अर्जित कर खरीदी है।

दिनॉक 22.07.2021 को जिलाधिकारी बिजनौर के आदेश के अनुपालन में गैग0 एक्ट की धारा 14 (1) की कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में उक्त सम्पत्ति पर कुर्की की कार्यवाही की गयी है।

अभियुक्तगण उपरोक्त की आय का कोई ज्ञात स्रोत नही है। उक्त सम्पत्ति अभियुक्त द्वारा अपराधिक कृत्य कर अवैध रुप से अर्जित की गयी है जिसकी अनुमानित कीमत करीब 70,22,000/.रूपये है। मौके पर शान्ति है।